भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2382
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि संबंधी कार्यकलापों में उन्नत मशीनरी/उपकरणों का उपयोग

2382. श्री राजीव रायः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) किसानों द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि संबंधी कार्यकलापों में किस हद तक उन्नत मशीनरी और प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है;
(ख) क्या सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में छोटे जोत वाले किसानों को मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में उपजाऊ गंगा पट्टी में कृषि उत्पादन के आधुनिकीकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): आधुनिक कृषि मशीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, बीज, उर्वरक और सिंचाई जल जैसे महंगे इनपुट की उपयोगिता दक्षता में सुधार करने के अतिरिक्त विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़ी मानवीय मेहनत को कम करने में मदद करती है। तथापि, विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा मशीनीकरण को अपनाना सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों, उगाई जाने वाली फसलों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

सरकार मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर बल देती है जिसका विशिष्ट उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक और उन क्षेत्रों जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है, तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है तथा छोटी जोत और कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग केंद्रों' को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत कृषि मशीनों की खरीद के लिए, किसानों की श्रेणियों के आधार पर मशीनों की लागत का 40% से 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण उद्यमी (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) और उच्च मूल्य वाली कृषि मशीनों के हाई-टेक केंद्रों की स्थापना के लिए

परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। 30 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80% वित्तीय सहायता किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और पंचायतों को ग्राम स्तर पर कृषि मशीनरी बैंक (एफएमबी) स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है। यह योजना फसल उत्पादन और उत्पादन के बाद की गतिविधियों के लिए लगभग सभी कृषि मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन देने और फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देती है और एक्स-सीटू उपयोग के लिए पराली को इकट्ठा करने के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक का उपयोग करने पर बल देती है। बायोमास बिजली उत्पादन और जैव ईंधन क्षेत्रों में अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों को धान की पराली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत, चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत के 80% की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रावधान है, जो अधिकतम 8.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक है।

वर्ष 2014-15 से 2024-25 (30 नवंबर 2024 तक) की अवधि के दौरान, एसएमएएम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 656.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय धनराशि जारी की गई है और राज्य ने किसानों को सब्सिडी पर 176722 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए हैं और 10769 सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी स्थापित किए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, वर्ष 2018-19 से 2024-25 (30 नवंबर 2024 तक) की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 763.67 करोड़ रुपये की

केंद्रीय निधि जारी की गई है और राज्य ने किसानों को 70500 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध कराई हैं और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 8804 सीएचसी स्थापित किए हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले कुल 15,000 ड्रोन में से, प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके वर्ष 2023-24 में पहले 500 ड्रोन खरीद लिए हैं और चयनित एसएचजी को वितरित किए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के एसएचजी को आपूर्ति किए गए 32 ड्रोन शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधि का जिलावार आवंटन एवं भौतिक लक्ष्य राज्य स्तर पर किया जाता है तथा कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2024-25 (30 नवंबर 2024 तक) की अवधि के दौरान मऊ एवं बलिया जिलों में एसएमएएम एवं फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधि, आपूर्ति की गई मशीनों एवं स्थापित सीएचसी/हाईटेक हब/एफएमबी का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	विवरण	मऊ	बलिया
1	आबंटित/जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)	4.88	8.64
2	व्यक्तिगत किसानों को वितरित की गई मशीनें (संख्या)	241	461
3	स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी (संख्या)	34	61

*****